Deed Writers Licencing Rules, 1996



बिहार गजट

वकाचारण अंक

क्रियर सरकार द्वारा प्रकाशित

22 দাল্ৰ 1918 (ন০)

(सं० पटना 90)

पटना, वृहस्पतिवार, 13 मार्च, 1997

निबंधन विमाग

अधिस्चना

12 मार्च 1997

एसं॰ ओ॰ 31, दिनांक 13 मार्च, 1997—र्राजस्ट्रीकरण ग्राधिनियम, 1908 (अधिनियम सं॰ 16, 1908) की बारा 69 की उप-धारा (1) के खंड (स) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवंधन महानिरीक्षक उक्त धारा की उप-धारा (2) के अन्तर्गत बिहार सरकार के पूर्वीनुमोदन से निम्निलिखित बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्म--

- (1) यह नियमावली बिहार दस्ताबेज लेखक अनुज्ञरित नियमावली, 1996 कहलाएगी ।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह त्रन्त प्रभावी होगी।
- 2. परिभाषायें:--जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में :--
 - (क) "अधिनियम" से अभिन्नेत है रजिस्ट्रोकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम सं० 16, 1908)
 - (क्ष) "जिला निबंधक" से अभिन्नत है किसी निबंधन जिले का निबंधक जो इस अधिनियम नियवत हो :
 - (ग) "जिला अयर निबंधक" से अभिप्रेत है जिला मुख्यालय का अवर निबंधक जिसका कार्यालय जिला निबंधक के कार्यालय से समामें लित हो ;
 - (घ) "अवर-निबंधक" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अवर निबंधक और उसमें संयुक्त अवर-निबंधक भी शामिल है;
 - (इ) "निवंधन" से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम के अधीन किसी दस्तावेज का निवंधन ;
 - (व) "निबंधन पदाधिकारी" से अभिश्रेत है अधिनियम के अधीन नियुक्त जिला निबंधक या अवर-निबंधक :
 - (छ) "अनुवाध्त प्राधिकारो" से अभिप्रते है जिला का निवंधक तथा इसमें शामिल है इस हेते प्राधिकृत जिला अवर-सिवंधक ;
 - (ज) "प्रवत्र" से अभिप्रति है इस नियमावली से उपावह प्रवत्र ।

- (1) दस्ताबेज लेखक को अहंताएँ—दस्ताबेज लेखक को लिए निम्नलिखित अहंताएँ होगी :—
 - (क) वह भारत का नागरिक हो तथा कम-मे-कम 10 वर्ष के आयु प्राप्त कर चुका हो ;
 - (स) वह कम में कम प्रवेशिका परेक्षा अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परेक्षा में उल्लेण हो ;
 - (ग) वह इस नियमावला के अधान संवालित दस्तावीय लेखक अनुशास्त्र परीक्षा में उत्तीण ही :

परन्तु यह कि जो दस्ताबेज छेलक रिजिस्टीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1996 के प्रवृत होने की तारील से कम-मे-कम दस वर्ष पहले में दस्ताबेज छेलक के पेनों में रहा हो और जिला रिजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकत किसो जन्य पदाधिकारों का समाधान हो जाय कि वह दस्ताबेज छेलक का पेशा करने के अन्यया उपयुक्त है उनके लिए इस परीक्षा को उत्तार्णता तथा प्रवेशिका परीक्षा में उत्तार्णता आवश्यक नहीं होगों।

(ध) वह अच्छे नैतिक आचरण का हो :

- (क) जो हिन्दा अथवा अंग्रेजो के अतिरिक्त उप परिक्षेत्र की क्षेत्रीय माणा का भी ज्ञान रकता हो जहाँ यह दस्तायेज लेखन का काम करना चाहता है।
- (2) ज्योग्यता-अनुक्षपित ए से किसी ध्यवित की नहीं दी जायेगी :--

(1) जो 18 वर्ष में कम उम्र का नावालिय हो ;

(2) जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिक घोषित किया गया हो, या

- (3) जो किसो अपराधिक स्यायालय द्वारा नैतिक पतन के अपराध का दोषो ठहराया गया हो, या
- (4) जो सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसो स्वायालय द्वारा दिवालिया विनिधंत किया गया हो, या
 (5) जिला निवंधक के आदेश से जितको अनुकरित अवचार के कारण कभी रह को गयी हो ।
- 4. आवेदन की रीति—दस्तावेज लेखन अनुक्षित के लिये आवेदन प्रपत्र "क" में तथा शिक्षिक्ष अनुक्षित के लिए प्रपत्र "स" में अरेर अनुक्षित के नवाकरण के लिए प्रपत्र "में" में किया आयेगा।आवेदन अवर-निवंधक के पास स्वयं वा किसी अमिकतों के साध्यम से अपस्थापित किया अववा विवंधित डाक द्वारा मेजा आयेगा, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदन दस्तावेज लेखक के रूप में काम करना चाहता हो। आवेदन पत्र को अवर-निवंधक अपनो जनुशंसा के साथ जिल्ला निवंधक को अग्रमारित करेगा।
- 5. परीक्षा--(1) दस्ताबेज लेखक अनुज्ञान्ति परीक्षा का संवालन अनुज्ञान्ति प्राधिकारी, द्वारा किया जायेगा। परीक्षा का समय, स्थान एवं क्योरे अनुज्ञान्त प्राधिकारी अधिसुचित करेगा। प्रकान्यत्रों का चयन एवं मुद्रण संवेषित जिला निवंधक करायेगा।

(2) स्टाम्प स्रीर निवंधन श्रृत्कों की प्रशंप्तता स्रीर दस्ताबे जो के प्रारुपण एवं हस्तान्तरण-लेखन हिस्वी। संग्रेजी

या मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय गापा से संबंधित विधि परीक्षा वे विषय होंगें ।

- (3) धनुक्रित प्राधिकारी ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जी वह समय-समय पर निर्धारित और सम्यक्ष्य से अधिमुचित करें, जिल्लिक अनुक्रित परीक्षा संचालित करेंगा ।परीक्षा दस्तावें जी के प्रतिलेखन से संबंधित होगा ।
- (4) बाबेदकों को दस्ताबेज लेखक अनजिप्त विधित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 50 रू० और शिशिक्ष बनजिप्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 20 रू० शुरुक देय होंगें।
- 6. दस्ताबेज लेखक की संख्या-प्रमृत्रिय प्राधिकारी अपने प्रधीनस्य प्रत्येक निबंधन कार्यालय के लिए धनुक्षप्ति प्राप्त दस्ताबेज लेखक की संख्या सामान्य जनता की जकरतों को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा।
 - 7. जनजरित का निगंत किया जाना--(1) जन्जरित प्राधिकारी यह समाधान कर लेने पर कि धावेदक--

(क) विहित परीक्षा पास कर चका है ;

(ख) लाइसेंस दियें जाने के लिए धर्नीहत नहीं हैं ;

(ग) अच्छे नैतिक साचरण का है, या

(छ) धनज्ञप्ति दिये जाने के लिए धन्यया योग्य है ;

यवास्थिति प्रपत्न "ग" में दस्तावेज लेखक अनज्ञित्वयां, प्रपत्न "ध" में शिनिक्ष अनज्ञित वे सकेगा ।

- (2) धनुज्ञाप्त पदाधिकारी द्वारा वैसे किसी व्यक्ति को बिना परीक्षा में शामिल किये धनुज्ञाप्त प्रदान की जा नवेगी जो इस निवसायलों के प्रवादी होने के 10 वर्ष से इन वन में लगा हवा है।
- जा नरेंगी जो इस नियमायती के प्रमावी होने के 10 वर्ष से इन वृत्त में लगा हुआ है।

 (3) धन्त्रिक्त प्राधिकार को यह समाधान हो जाए कि नियम 7 के किसी उपनियम के अधीन आवेदनकर्ता को अनुस्तित निर्गत न की जाए तो यह इसके कारणों को अभिनिधित करते हुए अस्वीकृति की सुचना आवेदनकर्ता को देगा।
- (4) अनुजिन्त प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध आवेदनकत्ती निवंधन महानिरीक्षक से समक्ष आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों के अधीन अपील कर सकेगा।

8. नवीकरण—(1) इस नियमांवली के प्रधीन दिया गया अनुताप्त उसके दिए जाने के वर्ष के दिसम्बर माह की 31 तारीख तक चालू रहेगा और उसका नवीकरण उसकी समाप्ति की तारीख को या उसके पहले करीया जा सकेगा।

(2) अनुक्षप्ति चाल रहने के दौरान अनुक्रप्तिधारी डारा अनुक्रप्ति की किसी वर्त का पालन नहीं किया जाना

या उसका कोई प्रवचार धनुज्ञन्ति के नवीकरणार्थ धनहेंना समझी लावेशी ।

(3) नियम 8 (1) में विहित प्रविध में नवीकरण न जराने की स्थिति में 31 मार्च तक नवीकरण 10 स्था विसम्ब हुन्क के साथ किया जा सकता है।

अनुवादित की मर्त--(1) दस्ताने व ने खक्र की लिये अनुकृष्य की निम्नलिखित मर्ते होगी :---

(क) कि दस्ताबें ज लेखक अनुवाध्त संबंधित निधमों का पालन करेगा

(सं) कि वह बैसी पंजिया, रसीद बहिया और अन्य अभिलेख रखेगा जिसका रखना नियमावली द्वारा विहित किया गया हो और उन्हें जिन्हें रखने की अनुज्ञाप्त प्राधिकारी अथवा निवधन महा-निरोक्षक समय-समय पर अभेका करें;

 (ग) कि वह निवंधन कार्यालय से सम्बद्ध किसी व्यक्ति के नाम पर पशकारो (पाटियों) से कोई रकम न तो मार्गेगा, ने लेगा।

(प) कि वह अपने निर्धावन में प्राप्त धन का मही और ठीक-ठीका हिसाब देना

- (ड) कि वह दस्ताबे व सुवाठव स्य से घीर अनुवादित प्रशिकारों या निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारो किये गर्ने धनुदेशों के अनुवार लिखिना शवका निख्यातीयाः ;
- (च) कि वह पक्षकारों (पार्टिकों) या उनके प्रयादक प्रशिवक्षत प्रमिक्तिया महत्तार नामा धारकों को सीधे निवंत्रम पदाधिकारियों के समक्ष स्वयं हो न कि किसी कृत्य एकेंसी के जरिये दस्तावें जो या धाजियों को उपस्थापित करने भीर फीसका भूगतान गरने का अन्तरेश वेंसा :

(छ) कि वह दस्ताबेजों का सावधानी पूर्वक पठनीय और साफ तथी अणदिश्य शब्दों में लिखेगा या

लिखबार्यमा

- (ज) कि वह ऐसे किसी भी निर्देश का पालन करेगा जी निबंधनार्ध दस्ताबंधों या प्रतिविषिणों को तैयार करने प्रववा उनके प्रतिलेखन के संबंध में धनुष्ठांग्व प्राधिकारों या निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर दिया जाय ;
- (ड) कि वह अपने दारा निखे गये या खण्ने झासंगी जिलिश से तिखवाये गये हरेक दस्ताये ज पर खणना नाम का हस्ताक्षर करेगा और उसमें घपना नाम धनुश्राप्त संख्या तथा इस नियमावली के अधीन धणने-खणने घनुरक्षणाधीन पंजी में घनित जम दस्तायेज की अम संख्या एवं घणने दारा ली गयी फीस वर्ज करेगा।

(2) शिक्षिश अनुझ प्ति के लिये निम्न शलें होंगी --

(क) शिशिक्ष दस्तावेजों को सलाच्य, जुड़ एवं साफ लिखेगा;

(ख) बह दलाल के रूप में काम नहीं करेगा:

(ग) वह पाटियों से सीचे रपया या फीस नहीं लेगा;

(घ) यह किसी एक ही दस्तावेज लेखक के साथ काम करेगा;

(इ) वह उस दस्तावेज सेखक के कार्यालय में उपस्थित रहा करेगा जिलके साथ वह संबद्ध ही और उसके द्वारा यथा प्रदत्त विलेखों को प्रतिक्षित करेगा:

 (व) वह उस दस्ताबेज लेखक से बेसे दस्ताबेजों के लिये पारिश्रमिक प्राप्त करेंगा जो वह समुज्ञप्तिधारी दस्ताबेज लेखक के लेखायन या निवेशन के शनसार प्रतिसिंखित करें;

(छ) वह जिस दश्तावेज लेखक के साथ संस्था हो उसके द्वारा दश्तावेज अनुप्रमाणित कर दिये जाने के खाद, दश्तावेज को निम्न रूप में अनुप्रमाणित करेगा---

.....(पूरा नाम ग्रीर हस्ताक्षर)

10. जिलिक्षु का पारिश्रमिक—िशिक्षिक्षु की विलेख प्रतिलेखन के लिये जो पारिश्रमिक दिया जायेगा वह सन्ज्ञाप्ति-धारी दस्तायेज लेखक द्वारा विलेख का प्रारूप तैयार किये जाने धीर उससे संबंधित प्रकीशं काम किये जाने के बदलें उसके द्वारा ली गयी फीस } होगा।

यह फीस दस्ताबेज लेखक द्वारा लिये गये जुलक की राशि के बतिरिक्त होगा।

11. अनुज्ञप्ति का अंतरण—(1) यदि कोई दस्तावेज लेखक अपने अनुज्ञप्ति के वालू रहने की अविध में ही अपनी अनुज्ञप्ति में दर्ज निबंधन कार्यालय से भिन्न निबंधन कार्यालय में दस्तावेज लेखक के रूप में काम करना चाहे तो अनुज्ञप्ति पदाधिकारी अपने विवेकानुसार ऐसा परिवर्तन स्वीकृत कर सकेगा और उसकी अनुज्ञप्ति में यह बात उस्लेख कर देगा।

(2) यदि कोई अनुज्ञप्ति खो जाय अथवा नष्ट हो जाय तो खोने या नष्ट होने का प्रयाप्त प्रमाण लेने पर ऐसे प्रत्येक मामले में दस रुपया फीस भगगान करने पर अनुज्ञप्तिधारी को उसकी दूसरी प्रति दो जा सकेंगी।

- 12. प्रनुज्ञिप्त का अन्यपंग (1) प्रत्येक दस्तावेज लेखक या जिजिक्षुंजो पद त्याम कर अथवा जिसकी अनुज्ञिप्त इस नियमावली के अधीन रद्द कर दिया जाय वह अपनी अनुज्ञिप्त उस जिले के निबंधन पदाधिकारी को तरन्त अन्यपित कर देगा, जहां के लिये जसकी अनुज्ञिप्त हो।
- 13. ग्रनुज्ञप्ति का रहकरण ग्रीरनिलम्बन--(1) ग्रनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी भी समय दस्ताव ज लेखक वा शिशिध्
 की ग्रनुज्ञप्ति निम्न ग्राधार पर निलम्बित या रह कर सकेगा:--

(क) इस नियमावली के किसी नियम या अनुक्राप्त की पावनों का उल्लंबन;

- (ख) उस अनुज्ञान्त प्राधिकारी अथवा निवधन प्राधिकारी से जिसके अधिक्षेत्र में वह काम करता हो, अवकाश प्राप्त किये विना तथा वर्गर युक्तियुक्त कारण के छः महीने से अधिक समय तक निवधन कार्यालय में उपस्थित न होंना;
- (2) ज्प-नियम (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि यथास्थिति, दस्तावेज लेखक या शिजिक्ष को अनुज्ञप्ति के प्रस्तावित निलम्बन या रहगी के विरुद्ध कारण अतलाने के लिये न कहा गया हो और उसके द्वारा बतलाये गये कारण पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से विचार न कर लिया जाये।
- 14. अपील--इस नियमावली के अधीन दिये गये किसी भी अनुवारित निलम्बन या रहीकरण आदेश के विरुद्ध अपील निबंधन महानिरीक्षक के पास तीस दिनों के अधीन की जा सकेशी।
- 15. निबंधन महानिरीक्षक की क्षक्तियां--निबंधन महानिरीक्षक को वे सारी क्षक्तियां होंगी, जो इस नियमावली के अधीन अनुक्राप्त प्राधिकारी को दी गयी है।
- 16. अभिलेख का निरीक्षण—इस नियमावली के अधीन दस्तावेज लेखक द्वारा रखी जाने वाली पंजियां और रसीद बहियां विभाग के पदाधिकारियों के निरीक्षणार्थ हर समय उपलब्ध रहेगा, जो उनका निरीक्षण कर लेने के बाद उन पर अपना लघु हस्ताक्षर कर देंगे। निवंधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर अनुज्ञित भी निरीक्षण के लिये पेश किया जायेगा।
- 17. फीस—दस्ताबेज लंखक धनुज्ञप्ति और शिकिक्षु की मंजूरी तथा उनके वार्षिक नवीकरण के लिये निका दर पर फीस ली जायेगी:--

		फीस र०
(क) दस्तावेज लंखक अनुज्ञप्ति		
एक उप जिलें के लिये अनुज्ञान्त एवं		. 60
सम्पूर्ण जिले के लिये धनुज्ञाप्त	 	5.0
नवीकरण के लिये फीस		25
(অ) লিখিল প্রনুর্যানে		
उप जिले के लिये शिकिक्ष अनुज्ञाप्त		25
सम्पूर्ण जिले के लिये	 	25
नवीकरण के लिये घटक		10

18. फीस जमा किया जाना—इस नियमावली के ग्रधीन भुगतान की जाने वाली सभी फीस चलान के जिरसे की चागार में जमा की जाननी और इसकी एक प्रति अनुजाप्त स्वीद्धत किये जाने के पूर्व अनुजाप्त प्राधिकारी के कार्यालय में दाखिल कर दी जायेगी। फीस समुचित बृहद और लघु शीर्ष के प्रधीन निवंधन प्रकीण फीस नामक वजट शीर्ष में जमा की जायेगी।

19. बही —हरेक दस्तावेज लेखक प्रपत ड में एक वही रखेगा और पार्टी को फीस की रसीद प्रपत "च" में देगा, अनुझप्ति प्राधिकारी अनुझप्ति दस्तावेज लेखकों के लिये प्रपत्न "छ" तथा अनुझप्ति शिशिक्षमों के लि पत्र "ज" में पंजी रखेगा । इसी तरह की पंजिया अवर निबंधक के कार्यालय में भी उसके कार्यालय से प्रबद्ध अनुझप्तिवारी दस्तावेज लेखक और अनुझप्तिवारी शिशिक्षमों के लिये रखी आयेगी ।

20. लिखाई—(1) निबंधन महानिरीक्षक राज्य के निबंधन कार्यालयों के लिये दस्तावेजों के लिये दस्तावेजों की लिखाई की दरें नियत कर सकेगा तथा उसे तीन वर्ष की प्रविध पर पुनरीक्षित कर सकेगा। इस नियमावली में उपाबद प्रनुसची 1 में विहित दरें विभिन्न दस्तावेजों के लिये तुरन्त प्रभावी होगी।

यदि किसी कारणवेश 3 (तीन) वर्षों के बाद पुनरीक्षित नहीं की जा सकेगी तो पूर्व की दरें तब तक प्रभावीं रहेगी जब तक कि दरें पुनरीक्षित नहीं की जाती।

- (2) लिखाई की विहित दरों की तालिका हिन्दी, ग्रंग्रेजी ग्रीर जिलों में ग्राम तौर पर बोली जाने वाली श्रन्य आवाशों में निबंधन कार्यालय से बाहर किसी सुगोचर स्थान में लगा दी जायगी।
- (3) धनुज्ञित्वधारी दस्तावेज लेखक भी धपने कार्यालय के किसी सुगोचर स्थान पर इसी तरह तालिका जनायेगा। हरेक दस्तावेज लेखक धपने कार्यालय में या जहां यह दस्तावेज लिखता हो. धपनी धनुष्ठित भी प्रदिश्ति करेगा।
- 21. पर्यवेक्षण और नियंश्रण--श्रवर निवंश्रक को यह देखना कत्तंक्य होगा कि उसके कार्यालय से संबद्ध दस्तावेज लेखक विहित पंजियों, रसीद बहियां उचित रीति से रखते हैं और कोई अनुझप्ति दस्तावेज लेखक तथा अनुझप्तिकारी शिक्षिक्ष ऐसा कोई इदाचारपूर्ण तरीका नहीं ऑक्तपार करते हैं जिसके निवंशन (रिजस्ट्री) में लोगों को परेशानी हो। पदि वह ऐसे किसी कदाचारपूर्ण तरीका के अक्तियार किये आने का मामला पाता है तो अपने जिल्ला निवंशन को शीध आवश्यक कार्रवाई होतु प्रतिवेदन देगा।
- 22. ब्यावृत्ति—इस नियमावली के लागू होने के पूर्व लिखे गये विलेखों पर यह नियमावली लागू नहीं होगी परन्तु ऐसे विलेखों को नियमावली लागू होने की तिथि से एक माह के अन्दर निश्चित रूप से नियमार्थ उप. स्थापित कर देना होगा।

(ह०) धस्पष्ट, सरकार के सचिव।

प्रपत्र "क"

(नियम 4)

दस्तावेज नवीस की ग्रनुज्ञाप्त के लिये ग्रावेदन-पत्र

1.	पूरा	नाम	एवं	पिता	का	नाम	
2/	वता						

स्वायी घर का पता

रथानीय पता

- 3. उम्र एवं जन्म-तिथि
- 4. राष्ट्रीयता
- शैक्षणिक योग्यता, यदि कोई हो,
 क्या भ्रापने दस्तायेज लेखक अनुज्ञप्ति परीक्षा उत्तोणं की है?
- दस्ताबेज लेख के रूप में सेवा
 पिछ, ले एक वर्ष में लिख दस्ताबेजों की अनुमानित सख्या।
- 7. श्रावेदित अनुज्ञप्ति का स्वरूप, नया एक कार्यालय (कार्यालय का नाम वें) के लिये है, या एक जिले (जिले का नाम वें) केलिए।
- जमा किये गये चालान की रकम, संख्या एवं तिथि एवं कोषागार का नाम।
- क्या अनुज्ञप्ति के लिये आयेदन कभी अस्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब और क्यों? विवरण दें।

योवणा

में '''' इसके दारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं न तो विकृत मस्तिष्क घोषणा करता हूं कि मैं न तो विकृत मस्तिष्क घोषित किया गया हूं, न मुक्ते सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और जहां तक मेरी जानकारी और विक्याम है, इसमें दी गयी सूचना एवं विवरण सही है और यह कि जिस अनुज्ञाप्ति के लिये मैं इसके द्वारा अविकृत कर रहा हूं, उसका उपयोग केवल मेरे द्वारा ही किया जायगा।

स्थान--तारीख---श्रनुलानक---चालान रसीद]

हस्ताध्य

बिप्पणी--इस आवेदन-पत्र के आधार पर प्रदत्त अनुक्षित, यदि ऐसा पाया जाता है कि आवेदन में दी गई कोई सूचना या विवरण भूठा, असत्य या अगुद्ध हैं तो किसी भी समय रह किया जा सकेगा।

> श्रवर-निबंधन कार्यालय तारीख

ग्रनुशंसा

सेवा में,

जिला निबंधक

भ्रवर-निबंधक तारीख · · · ·

मादेश

अनुज्ञप्ति संब्धाः

निगंत किये जाने की तारीख

जिला निबंधम

100

प्रपत्न ''सा"

(देखें नियम 4)

णिशिक्षु धनुक्राप्ति के लिए धावेदन-पत्र

1. पूरा नाम ग्रीर	पिता का नाम				स्वानीय पता
2. पता		١.,		स्थायी घर का पता	स्वानाय पता
3. उम्र एवं जन्म 1	ਰਿਥ				
4. राष्ट्रीयता	019				
5. में क्षणिक योग्य	ना				
6. दस्तावेज नवीर		द रहते हुए	গিলিধ		
	वा ग्रीर गत एव				
	स्तावेजों की ग्र				
7. क्या धावेदक	ने शिशिक्ष्य परी				
(प्रमाण-पद्म व					
 अनुलानक चार एवं कोषागार 		रकम, संख्य	ा, तारीख		
 धावेदित धनुज्ञ के लिये धन 	ित का स्वरूप शन्ति)।	(जिला या	उप जिला		
			घोषणा		
ोषित किया गया लि किसी न्यायार	हूं, न नैतिक ४य द्वारा दिवा ना एवं विवरण	पतन के वि लिया घोषि सही हैं इ	कसी–ग्रपराध त किया ग≀ गौर यह कि	। का दोषी ठहरायाः या हैक्सीर जहां तक जिस श्रमुज्ञप्ति के ि	कि मैं न तो विकृत मस्तिष्क गया हूं, न मुक्ते सक्षम पदाधिकार मेरी जानकारी और विख्वास है, लये मैं इसके द्वारा आवेदन कर
वान					
तरीख—					हस्ताक्षर
ानुस्यकचीलान	रसीद				
					जाता है कि ग्रावेदन में दी गई री समय रह किया जा सकेगा।
					ग्रवर निबंधन कार्यालव
					तारीख
			प्रनुष	मा	
वेवा में			" "		
जिला निवंधक		***			
					भ्रवर-निबंधक.
					तारीख
			ग्रादे	श	
ग्रन्जिप्ति संख्य				1न	र्गत किये जाने की तारीख
					जिला निबंधक
					।जला । गबधक

फारम 'ग'

(faur 4)

दस्तावेज नवीस/शिशिक्ष छाइसेन्स के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र।

			A Comment		
1. पुरा	नाम	आर	1 पता	40	नाम

- 2. पतास्थायी घर का पता और स्थानीय पता
- स्वानीय पता में परिवर्तन (स्तम्म 2 की तरह विस्तार में विभिन्निकट किया जायेगा)।
- 4. छाइसेन्स संख्या का क्योरा
- 5. किस अविध के लिये नवीकरण कराना बाहते हैं ?
- 6. पिछले नवीकरण की तारीख
- 7. चालान रसीद की रकम, संख्या ...

घोषणा

में (पूरा नाम) इसके द्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि मैं ना तो विकृत मस्तिष्ठक घोषित करता है कि मैं ना तो विकृत मस्तिष्ठक घोषित किया गया हूं, ना नैतिक पतन के किसो अपराय का दोषी ठहराया गया हूं न सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसो न्यायालय द्वारा दिवालिया निर्णीत किया गया हूं और जहां तक मेरी जानकारी और विष्यास है, इसमें दो गई सूचना और विषयण सही हैं।

स्यान--

तारील--

इस्ताक्षर

अनुलग्नक--चालान रसोद

टिप्पणी--इस आवेदन-पत्र के आधार पर किया गया नवीकरण आवेदन-पत्र में दी गई किसी सूचना या विवरण के झुठा, असत्य या अशुद्ध पाये जाने पर किसी भी समय रह किया जा सकेंगी।

अवर निवंधक

आदेश

जिला निवंधक

प्रयत्र 'ग" (देखें नियम 7) (दस्ताव ज नव स लाइसेन्स)

अन् अधित की संगयां---दरतावेद असमा भागा---441--

त्यर्भृति थ। को, जिन्होंने अवस्थित कोन जमा कर दो है और आवस्थक घोषणान्य दे श्या है, को इसके हारा अवर निवंधन कार्याच्या विवंधन जिला के साथ सम्बद्ध दस्तावेज नवीस के रूप में नार्य करने के लिये प्राविकृत किया जाता है।

तारीख माह वर्ष

जिला विवेधक व्यक्ति विवेधक विव

जिला दिवंगक,

लाईसन्सधारी का हरताकर।

[ळाईसेन्स प्राप्त बारते समय विष्या जायगा।]

(क) लाई वेश्मचारं। दस्तावेज नवान लाई वेस्त ते संबंधित विवसायल का पालन करेगा।

(स) यह ऐसे पंत्रियों, स्मीद पंत्रियों तथा अन्य अभिक्षेत्र संपारित करेगा जिलका निर्वाह किया जाना इत नियमावलो द्वारा विहित हो असवा लाइसेन्स देनेवाले शामिकार द्वारा जिनके संधारण की अवेक्षा के आवर्ग ।

(ग) वह िषंपन कार्यालय से तस्बद किसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम पर पक्षों से कोई रक्स न

मांगेगा ः स्वोकार करेगा।

(भ) वह पक्षों स प्राप्त रकम का सही और ठीव-ठाक हिमाब देगा।

(ई) वह स्थव्ह, सुपाठ्य तथा विश्वधन महानिकारीक द्वारा समय-समय पर जारे। अनुदेशों के अनुसार

दस्तावीय लिखेगा।

 (च) वह तको या उनके द्वारा प्रवासीम्य प्राधिकत एकेन्ट्रो स्वया मुख्यार के स्वितानों पार्थ करने दाले गारित को अनदेश देश, कि वे निवंध। पदाधिकार के तमझ दस्तायेल या विकास स्वयं पेता वरें और फ में का मुगतान मा स्वयं वरें न कि दिसे अस्य एजेंग्से के द्वारा।

(छ) यह दर विशों को साववाने पूर्वण ठ ए से और साफ तथा असेदिग्य शब्दों में लिखेगा या लिखवायगा।

(व) वह ऐसे िसी भी दिदेश का पालन करेगा भीरिवधकार्थ वस्तावें को तैयार और प्रतिलिखित ाने के संबंधने तसय-तमय पर विवंधा महाविरोधक द्वारा जारा किया जायगा।

टिन्यम — उपर्युव इतों में से किसा भी शर्त का उल्लंबन करने पर लाइसेन्स विलंबित अथवा रह किया जा तकेगा।

प्रपत्र "घ"

(देखें नियम 7)

प्रशिक्ष लाइस स	
लाइसँग की संख्या	
प्रशिद्ध को नामः	
чаг	
उपक्रित श्रीः कर दो हैं और जिनके द्वारा प्रावश्यक घोषणा पत दे दी गरी हैं, को इसके द्वारा निसंधन जिला करते हुं। करते हुं। प्रशिक्ष का कार्य करने के लिये प्राधिक्षत किया जाता है।	स्वर निबंधन कार्यालयः
तारीखः माह् वर्षे जिला निबंधकः का कार्यालय ।	
	जिला निवंधक,
	लाईसें सघारी का हस्ताक्षर ।
गर्ते — लाईसेंस प्राप्त करते समय किया जायेगा (क) लाईसेंसधारी प्रशिद्ध लाइसेंस से संबंधित नियमों का पालन करेगा। (ख) वह निबंधन कार्रालय से सम्बद्ध किसी न्यंबित या न्यंबित में के नाम पर न स्वीकार करेगा। (ग) वह दस्तावेजों को सुराठ्य, स्वच्छ एवं निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समय-समय प्रतिलिखित करेगा। (ध) वह पक्षों या उनके द्वारा यथा गेग्य प्राधिक्रत एजेट्टों स्थया मृख्तार की अनित को सन्देश देगा कि वे निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दस्तावेज वा स्वित्यां से का भगतान भी स्वयं करें न कि किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा। टिप्पणी:—	पर जारी धनुदेशों के धनुसार पांधारण करने वाले व्यापत जये पेश करें ग्रीर की
उपर्श्वत शता में से किसी भी शता का उत्संघन करने पर अवदा किसी अन्य रखा जारेगा, लाइसेंस निलंबित अवदा रह किया जा सकेगा।	पर्गाप्त कारण ते जो लिखकर
सिफारिल	
सेवा में , जिला निबंधक	
	ग्रवर-निबंधक।
नवीकरणः	/ ग्रादेश।
वर प्रवाद प्रवेशी ।	

जिला निबंधक ।

and	कर्पाम्य	10		
क्षाष्ट्रकेन्स संख्याका ब्राप्टक	दस्तावेड की प्राप्ति के प्रमाणस्कर्प पार्टी का हस्ताथर और सामीखा	6		
	धवर-मिमधक द्वारा दस्तावं अ भौटानं की तारीख, यदि यह दस्तावं अ नवीस के नाम प्रदाबित हो।	05		
प्रारम "च्" (शियम 19) प्रशायिक बढ़ी इस्लावेज नवीस या सम्म) के कार्यासक में वैयार किया गया।	झवर-निवंधक के निवंधन का वांख्य को गास	7		
प्रस्तम "च" (शियम 19) द्रस्तामेल बही सः सम्म) के	दरकाषे ज नवीस को कीस।	9	ů.	
(पस्तावे ज नवीर	्प्रतिकत्त भी	5	ů.	
म स	दस्तामे व	7		
data di	वर्तिटयों का शास (दश्तामें अ का निक्तादक धा दावेदार)			
	arthe	C1		
	en de	1		

धनसूची 1 (देखें नियम 20)

दस्तावेज लिखने अधवा उसका प्रारूप तैयार करने के निए निर्धारित फीस की दर

दस्तावे ज का प्रकार		फीन की दर
 प्रतिलिपि, निरीक्षण या तलासी के प्रत्येक प्रावेदन-पत्र के लिये 	**	1.00 €≎
2. ग्रावेशिका आरी करने के प्रत्येक ग्रायेवन-पदा के लिए		1.00 ₹∘
 ब्रिशिनयम की धारा 25 या धारा 34 के ब्रधीन ब्रविध बढ़ाने के प्रत्येक ब्रावि के लिए वा निबंधन ब्रिधिनियम की धारा 73 के ब्रधीन ब्राविधन-पत्र के लिए। 		2.00 €₀
4. निवंधन अधिनियम की घारा 72 के अधीन प्रतीक अपील के लिए		2.00 克。
5. दस्ताबेज जिसमें मूल्य या जितकल निर्दिष्ट हो : जब मूल्य (1) 100 हु० ने अधिक न हो जब मूल्य 100 हु० से अधिक, किस्तु 500 हु० से अधिक न हो जब मूल्य 500 हु० से अधिक, हो, किस्तु 1,000 हु० से अधिक न हो जब मूल्य 1,000 हु० ने अधिक हो, किस्तु 5,000 हु० से अधिक न हो जब मूल्य 5,000 हु० से अधिक हो, किस्तु 20,000 हु० से अधिक न हो जब मूल्य 20,000 हु० से अधिक हो.		5.00 ह० 10.00 ह० 15.00 ह० 20.00 ह० 50.00 ह० 20,000 ह० पर देव कीय के प्रतिरिक्त प्रत्येक 1,000 ह० या उसके भाग के लिए 2 ह०।

- किसी पूर्व निलादित द्वारा उपास्तरित दस्तावे अ, विशेष मुख्तारनामा, करार, विना प्रतिक्रम 8.00 ६० के सम्मति विलेख ।
- 7. कोई प्रन्य दस्तावेश जिसके लिये सारिणी में कोई मानक कम (स्केल) विहित नहीं है 8.00 ६०
- बिल, दत्तक ग्रहण करने का ग्रीष्ठकीर, दत्तक दिलेख सामान्य मुख्तारनामा ग्रीर 20.00 कल विवाह विवर्षेद विलेख ।
- ऐसा दस्ताबंज जिसमें कोई मूल्य या प्रतिफल न दिया गया हो, यद्यपि उसको ध्रिमध्यवत 20.00 ह० किया जा सकता हो।

टिप्पणी--लेखन प्रभार की गणना दस्तावेज पर देव या दिवें गये स्टाम्प मुस्क की धनरामि पर की जायगी।

12 मार्च 1997

एस० थो० 32--एस० थो० 31, दिनांक 13 मार्च, 1997 द्वारा प्रकाणित विहार दस्तावंज लेखक अनुकृष्ति नियमाधली, 1996 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद विहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकृषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के धनुक्छेद 348 के खंड (3) के खबीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

विज्ञार-राज्यशाल के ग्रावेश से, विजय कुमार वर्मा, सरकार के सचिव।

The 10th March, 1997

- S. O. 31, dated the 13th March 1997.—In exercise of the powers conferred by clauses (bb) of sub-section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (Act XVI of 1908) the Inspector-General of Registration hereby makes the following rules with the prior approval of the Government of Bihar under sub-section (2) of the said section namely:-
 - 1. Short title, extent and commencement .- (1) These Rules may be called the Bihar Deed Writers Licensing Rules, 1996.
 - (2). It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
- 2. Definitions.—In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or context-

(a) "Act" means the Registration Act 1908 ((XVI of 1908)

(b) "District Registrar" means the Registrar of a Registration

appointed under the Act.

(c) "District Sub-Registrar" means a Sub-Registrar at the district headquarter whose office is a amalgamated with the office of the District Regis-

(d) "Sub Registrar" means a Sub-Registrar appointed under the Act

... includes a joint Registrar.
(e) "Registration" means Registration of document under the Act.

(f) "Registering Officer" means the District Registrar or the Sub-Registrar appointed under the Act.

(g) "Licensing Authority" means the Registrar of a district and includes any other officer authorised in this behalf,

(h) "Form" means a form apprended to these rules.

- 3. (a) Qualifications The following shall be qualifications for a deed writer.
 - (a) he is a citizen of India and has attained at least the age of 18 years.
 - (b) he has passed the matriculation examination or any other equivalent recognised examination.
 - (c) he has passed Deed writers licensing examination conducted under Rule. Provided that a licence may be granted to any person who has been in the profession of the documents writer for at least ten years prior to the date of the Registration (Bihar Amendmet) Act 1991 camt into force, without requiring him to appear in the written test referred to in sub-section (1) if the Registrar of a District or any other officer authorised by him in this behalf is satisfied that he is otherwise fit to take the profession of a document writer,
 - (d) he should be of good moral character.
 - (e) he has the knowledge of regional language of the locality in addition to the knowledge of Hindi or English.

- 5. (b) Disqualification.—No licence shall be granted to a person if-
- (a) he is minor below the age of 18 years or,
- (b) he has been declared to be of unsound mind by a competent Court;
- (c) he has been convicted by a criminal Court for an offence involving moral turpitude, or
- (d) he has been adjudged an insolvent by any Court of competent jurisdiction, or
- (e) his licence has at any time been cancelled under the orders of the District Registrar for misconduct.
- 4 Mode of application—An application for deed writers licence shall be in Form A, that for an apprentice licence in Form B and that for a renewal of licence in Form C shall be presented. The application shall be presented in person or by agent or shall be sent by registered post to the Sub Registrar under whost jurisdiction the applicant desires to practice as a deed writer.

The Sub Reginstrar shall forward such applications to the District Registrar with his recommendations.

- 5. Examinations —(1) The examination for "The Deed Writers Licence" shall be conducted by the licensing authority. The time and place of the examination and other details small be notified by the licensing authority. The setting of question papers and its printing shall be done by the District Registrar.
- (2) The examination subject shall be with respect to sufficiency of stamp and Registration fee and law, relative conveyancing and drafting of documents in Hindi/English or recognised regional language.
- (8) The licensing authority shall conduct an apprentice licensing test, at such time and in such manner, as he may determine from time to time, which shall be duly notified and the test shall relate to the transcription of documents.
- (4) An examination fees of Ks 50,00 shall be paid before applicant for appearing at the documents writer licence written examination and Rs. 20,00 for appearing at apprenticeship licence examination.
- 6. Number of document writters.—The licensing authority shall fix the number of licensed document writers for each subordinate registration office, keeping in view the requirements of the general public.
- 7. Issue of licence....(1) The licensing authority, on being satisfied that the applicant:---

(a) has passed the prescribed examination;

(b) is not disqualified under rule for the grant of a licence:

(c) is of good moral character, or

(d) is otherwise fit to be given a licence may grant a document writers. licence in Form 'C' or apprentice licence in Form 'D' as the case may be.

- (2) The licensing authority may grant a licence to any person who is in the profession for the last 10 years on the date of coming into force of these rules without requiring him to appear in the text examination.
- (3) If the licence issuing authority has reason to believe that licence can not be issued to the applicant under any sub-rule of rule 7 the authority shall after recording reasons inform the refusal of application.

Applicant shall have right to appeal against the order of licence issuing authority before Inspector-General of Registration within 30 days of the order of refusal of application.

- 8. Renewal.—(1) A licence granted under these rules shall remain in force upto 31st day of December of the year of issue, subject to a renewal on or before the date of expiry.
- (2) Non-observance of any of the conditions of the licence or any misconduct on the part of the licence during the continuance of the licence shall be deemed to be a disqualification to obtain a renewal of the licence.
- (3) In case of non renewal within stipulated period under rule 8(i) renewal can be done upto 31st March with late fee of Rs. 10.
- 9. Conditions of licence.—(1) The following shall be the conditions of the document writers licence:—
 - (a) that the licence shall abide by the rules relating to the licensing of document writers;
 - (b) that he shall maintain the registers, receipt books and other records prescribed by these rules to be maintained or required to be maintained by the licensing authority from time to time or by the Inspector-General of Registration.
 - (c) that he shall not demand or receive any sum from parties in the name of any person connected with the pregistration of ice;
 - (d) that he shall render true and correct account of the money that he receives from his employer;
 - (e) that he shall write or cause to be written documents legibly and in accordance with the instructions that may be issued from time to time by the licensing authority or the Inspector-General of Registration;
 - (f) that he shall instruct the parties or then duly authorised agents or persons having powers of attorney to pay the fees in person direct to the Registering officers and not through any other agency;
 - (g) that he shall write or cause to be wriften document carefully, property and in clean and unambiguous ferms:

(h) that he shall obey any direction that may from time to fime issued by the licensing authority or the Inspector-General Registration regarding the preparation and the anscription of

documents or copies for Registration;

(i) that he shall sign his name on every document written by or caused to be written by the apprentice attached to him and shall enter there in his name licence number and serial number of document given in the register to be maintained by him under these rules and the fees charged by him.

(2) The following shall be the conditions of an appretice licence:-

(a) An apprentice shall write documents leibly, correctly and neatly;

(b) he shall not act as a tout:

- (c) he shall not receive any money or fees direct from the parties; (d) he shall be aftached to only one of the licensed document writers;
- (e) he shall aftend the office of the document writer to which he is atteached and shall carry out such duties in respect of franscribing deed as may be given him.

(f) he shall be remunerated by the document writer in respect of the documents which he transcribes at the direction or direction of

the licensed documents writer.

(a) he shall attest the document in the following manner after the attestation of the document by the document to whom he is attached:-

"Signed by(full name and signature), sub-registration office.

Nore: -In case the deed transcribed by the document writer himself no attestation by the apprentice shall be necessary.

10. Remuneration of apprentice - An apprentice shall be remunerated for transcribing the deed to the extent of 174th of the fees charged by the licensed document writer for drawing up the deed and doing miscellaneous works in connection there to by him. This fee shall be in addition to the fee charged by deed writers

II. Transfer of Licence. (1) During the continuance of his licence. document writer wished to practice as a document writer in a registration office other than that enfered in his licence, the licensing may, at his discretion allow the change and enter the fact in his licence

(2) If a licence is lost or destroyed, a duplicate may on adequate proof of such loss or destruction, be issued to the licence on payment of a fee

of Rs. 10.00.

12. Surrender of Licence. - Every document writer or apprentice, who resigns or whose licence is cancelled under these rules forthwith surrender his licence to the registering officer of the concerned sub-district,

13. Cancellation and suspension of licence -(1) The licensing authority may at any time suspend or cancel the licence of a document writer or apprenfice on any of the following grounds:

(a) Violation of any of the rules of the conditions of the licences (b) Failture to attend the registration office for a period exceeding six months without a reasonable cause or without the leave permission of the licensing authority or the registering officer

within whose jurisdiction he has been practising.

(2) No order under sub-rule (i) shall be passed, unless the document writer or the apprentice, as the case may be, has been asked to show cause against the proposed suspension or cancellation of the licence and the cause shown by him has been duly considered by the licensing authority.

14. Appeal.—An appeal shall lie to the Inspector-General of Registration against any orders of suspension or cancellation of licence passed under these rules.

- 15. Power of Inspector-General of Registration.—Inspector-General of Registration shall have all the powers of a licensing authority given under these rule.
- 16. Inspection of Records.—The registers and receipt books to be maintained by the document writers under these rules shall at all time be open to inspection by the officers of the department who shall initial them after inspection. The licence shall also be produced for inspection on demand by the officer of the Registration Department.
- 17. Fees.—Fees on the following rates shall be levied for the grant of document writers licence and apprentices licence and for their annual renewal:—
 - (a) Document writer licence—
 Fees for one sub-District—
 Fees for whole district—
 Fees for renewal—

licence Rs. 50.00 Fee Rs. 25.00

Fees.

(b) Apprentice licence fee— Fees for one sub-district Fees for one whole district

Rs. 25.00 Rs. 10.00

Fees for renewal of licence-

18. Credit of Fees.—All fees payable under the rules shall be credited to the Treasury by challan and one copy there of shall be filed in the office of the licensing authority before licence is granted. The budget head to which the fees is to be credited shall be—"Registration—miscellaneous fees" under the appropriate major and minor heads.

- 19. Registrar.—Every document writer shall maintain a register in form 'E' and grant receipt to the party in form 'F'. The licensing authority shall maintain a register in form 'G' for licensed document writers and form 'H' for licensed apprentices. Similar registers shall also be maintained in the office of the Sub-Registrar for licensed document writers and licensed apprentices attached to his office.
- 20. Writing Charges. —(1) The Inspector-General of Registration shall fix the rate of charges as scribing documents for every Registration office within the state and the rate of charges shall be renewed at the interval of every three years. The Schedule I of the rate of charges appended to the rule shall be effective immediately.

If the rate of charges can not be revised after 3 years for any reason, the rate of charges fixed earlier shall continue to be effective till the rate of charges are not revised.

- (2) A table of the prescribed rates of charges shall be exhibited in Hindi, English and other languages as commonly spoken in the district in conspicuous place outside the registration office.
- (3) Similar table shall also be exhibited by the licensed document writer in a conspicuous place of his office. Every document writer shall also exhibit his licence in his office or the place whose he engages himself in the writing of documents.
- 21. Supervision and control.—It will be the duly of the Sub-Registrar to see that the document writers attached to his office maintain the prescribed registers and receipt books in the proper manner and that no malpractices are adopted by any licensed document writer and licenced apprentices in any way so as to harass the public. If he finds any such case of malpractices he will immediately report the matter to his district Registrar for necessary action.
- 22. Savings.—These Rules shall not apply to documents written before the commencement of these Rules, but such documents must be presented for registration within one month from the date of commencement of these Rules.

FORM "A" (RULE 4)

- 1. Full name with father's name.
- 2. Address.

Permanent home address

Local address

- 3. Age and date of Birth.
- 4. Nationality.
- Educational qualifications, if any, whether he has passed the Document Writers Licensing test.
- Service as document writer with approximate number of documents prepared and presented for registration during the past one year.
- Nature of licence applied for whether it is for a single office (to be named) or for a district (to be named)
- State here amount, number and date of challan receipt and the name of Treasury.
- Has an application for licence every been refused? If so, when and for what reason, give particulars.

DECLARATION

Place.....

Encl: Challan receipt.

Note: -- The licence issued on the strength of this application is liable to be cancelled at any time if it is found that any information or particulars furnished in the application are false or untrue or incorrect.

Sub-Registry Office,

RECOMMENDATION

To

The District, Registrar.....

Sub-Registrar,
Date
Order:
Issued on......

Licence no.....

District Registrar,

FORM "B"

(Rule 4)

APPLICATION FOR APPRENTICE LICENCE

- 1. Full name with Father's name.
- Address—Permanent home address and local address.
 Age and date of birth.
- 4. Nationality.

5. Educational qualifications

6. Service as apprentice to a document writer to whom he is attached with approximate number of documents transcribed by him, during the

7. Has the applicant passed the Apprenticeship (Give details of the

8. Amount, number, date and name of Treasury of the Challan receipt

9. Nature of licence applied for (District or sub-District Licence).

DECLARATION

I,...., do hereby solemnly declare that I have not been declared to be of unsound mind or convicted of any offence involving moral turpitude or adjudged as insolvent by any Court of competent jurisdiction and that the information and particulars furnished herein are true and correct to the best of my knowledge and belief and that the licence for which I hereby apply will be used only by myself.

Place.....

Date... Encl: Challan receipt

Signature

Note: - The licence issued on the strength of this application is liable to be cancelled at any time if it is found that any information or particulars furnished in the application are false or untrue or incorrect.

Sub-Registry Office,

RECOMMENDATION

To

The District Registrar,....

Sub-Registrar, Date Order: District Registrar Issued on..... District Registrar.

Licence no.....

FORM 'C'

(Rule 4)

APPLICATION FOR RENEWAL OF DOCUMENT WRITERS' APPRENTICES LICENCE

- 1. Full name with father's name.
- 2. Address, permanent home address with local address.
- 3. Changes in local address (to be specified with details as col. 2).
- 4. Details of licence number
- 5. Period for which renewal is sought.
- 6. Date of last renewal. 7. Amount, number, date

and name of Treasury of Challan receipt.

DECLARATION

I. (full name)......, do hereby solemnly declare that I have not been declared to be of unsound mind or convicted of any offence involving moral turpitude or adjudged as insolvent by any Court of competent jurisdiction during the past year and that the information and particulars furnished herein are true and correct to the best of knowledge land belief.

Place..... Date... Encl: Challan receipt

Signature

Note: —The renewal made on the strength of this application is liable to cancellation at any time if it is found that any information or particulars furnished in the application are false or untrue or incorrect.

District Registrer,

Sub-Registrar Office.

To,

FORM 'C' (Rule 7)

DOCUMENT WRITERS LICESCE.

Number of Licence. Name of document writer. Address.

Date

the day of

19____

OFFICE OF THE DISTRICT REGISTRAR OF

District Registrar, Signature of the Licence Holder.

(To be made as soon as the licence is received)

CONDITIONS

(a) The licensee shall abide by the rules relating to the Licensing of Document writers.

(b) He shall maintain the registers, receipt books and other records mescribed by the rules to be maintained or that may be required to be maintained by the Licensing Authority.

(c) He shall not demand or accept any sum from parties in the name of any person or persons connected with the registration office.

(d) He shall render true and correct accounts of the moneys he received

from the parties.

(e) He shall write or cause to be written documents legibly and in accordance with the instructions that may be issued from time to time

by the Inspector-General of Registration. (f) He shall instruct the parties or their duly authorised agent or holders of powers of attorney to present documents or petitions and to pay the fees themselves direct to the Registering Office and not

through any other agency.

(2) He shall write or cause to be written documents carefully, properly

and in clear and unambiguous terms.

(h) He shall obey any directions that may from time to time be issued by the Insspector-General of Registration regarding the preparation or transcription of documents for registration.

Note. The licence shall be liable to suspension or cancellation for a breach of

any of above conditions.

FORM 'D' (Rule 7)

APPRENTICE LICENCE

Number of Licence. Name of apprentice. Address.

The aforesaid...... having paid the necessary fee and having made the necessary declaration is hereby authorised to paretise as apprentice attached to the sub-Registry office/Registration District. the day of

OFFICE OF THE DISTRICT REGISTRAR OF

District Registrar, Signature of the Licence Holder. (To be made as soon as the licence is received)

CONDITIONS

(a) The licensee shall abide by the rules relating to the Licensing of Apprentice.

(b) He shall not demand or accept any sum from parties in the name of any person or persons connected with the registration office.

(c) He shall transcribe documents, legibly, mently and correctly and in accordance with the directions that may from time to time be issued by the Inspector-General of Registration.

(d) He shall instruct the parties or their duly authorised agents or holders of powers of atterney to present documents or petitions and pay the less themselves direct to the Registering Officer and not through

any other agency.

Norn.-The licence shall be liable to suspension or cancellation for a breach of any of the above conditions as well as for any other good cause to be recorded.

FORM 'E'

[Rule 19]

REGISTER OF DOCUMENTS

	of does	office of			,	Н	older of Licence	No	
Serial Mo.	Date	Name of party No (executant, or doc claimant of the decument.					Date of return S of document by the sub- Registrar if endorsed in document writer's name	the party is token of re- of document with date.	n ceipt
1	2	3	4	5	. 6	7	8	9	10
				FO	RM 'F'				
				(R	ule 19)				
				Cou	nterfoil	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			W74" W1	J. Lancon	4 F	別日 日	e [图] 中国	17.79	T
				-	ল লোক হয	150 1 1 2 2	Station		100
							Date		3 1.
	Po	ceived for			the sum of	ALL CONTRACTOR OF THE PARTY OF	Date		
	K	27%	Calculation and	recipia	the sum o	1	4 1000	1	
R	S		(in w	ords)		1 100 1 100 5	r james (m o	100	-
it	has b	een dealt with a	is shown	hereund	ler				
		a) Value of					purchased		
			7				purchased		~
					(2) other	paper thro	ugh him		709
	((b) Search			paid to	the Depar	tment		_
		Fee				A PARTY	's remunera		
	. ((c) Fee for conv	evancing						
						Total:			
				No. of the last		1			
	Ex	ecess amount re	turned to	party:					
	Do	cument No	********		. If know.	with the c	office of Reg	istration	

DOCUMENT WRITER

FORM .G.

[Rule 19]

REGISTER OF DOCUMENT WRITERS LICENCE

Serial no.	Licence Number	Date	Name of licencees	Address	 valid for R Sub-Dissries	emarks (posting of renewals with date)
1		a				\$

FORM .B.

[Rule 18]

REGISTER OF APPRENTICE LICENCE

Serial Licence Number 1			Address	Licence valid for		
	Date	Date Name of Licencee		Sub-District	of renewals with date).	
1	1	3		5		1
	,					

RECOMMENDATION

To.

The District Registrar,.....

"Renewal to be in force till.

Sub-Registrar, for, District Registrar.

SCHEDULE I (See Rule 20)

PIXED RATE OF CHANGES FOR SCRIBING DEEDS AND PREPARATION OF DRAFT

	Kinds of deeds	Rate of charges (Re.)	
2.	For every application for search, copy and inspection For every application for process.	1.00	
3.	For application under or section 25 or 34 for grant of time and for application under section 73 of Registration Act.	2.00	
4,	For appeal petition under section 72 of Registration Act.	2.00	
5.	Documents where volume or consideration money is determined:—		
	Where the value does not exceed Rs. 100	5.00	
	Where the value exceeds Rs 100 but does not exceed Rs. 500.	16.00	
	(M) When the value exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 1900	15.00	
	(A) When the value exceeds Rs. 1000 but does not exceed Rs. 5000.	20.06	
	(2) When the value exceeds Rs 5000 but does not exceed Rs. 20,000.	50.00	
	When the value exceeds Rs. 20,000	In addition to the i	Re-
		20,000, Rs. 2	
		every Rs. 1,000	10
		part thereof.	
6.	Special power of attorney, agreement, deeds without value or consideration money.	\$.00	
7.	Other documents for which no scale is provided in the table.	8.00	
3,	Will, authority to adopt, adoption deed, general power of attorney and deed of dissolution of marriage.	20.00	
9.	beeds where value of consideration money has not been provided but which can be ascertained.	20.00	

Nova: --Seribing charges shall be calculated on the basis of stamp duty paid or payable on the instrument.

File No.....Issue No.....

By the order of Governor of Bihar, VIJAY KUMAR VERMA Secretary cum-I.G. Registration, Bihar, Patna d

बार्यक्रक रावकीय संसन समग्री भंदार एवं प्रकाशनः पंटना इता प्रकाशिव तथा बार्यक्रक, खरिवासय मुद्रणालयः, विद्वार, पटनंत हारा मुद्रितः । विक्रान्तरं पत्रव (जनाक्षारम), 90-नाईनो-750-1000-